न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/47

1. अब्दुल रजाक वल्द अब्दल वहीद मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अय्यूब वल्द अब्दुल रजाक ।
   1/2. कय्यूम वल्द अब्दुल रजाक ।
   1/3. युनुस वल्द अब्दुल रजाक ।
   1/4. शबीना पुत्री अब्दुल रजाक ।
   1/5. हसीना बेवा अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी बडौदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शमशाद बेगम पुत्री अब्दुल वहीन पत्नी जाकिर हुसैन मुसलमान निवासी हकीम साहब की मस्जिद के पास भूरा कुवा की गली अन्ता जिला बारां ।
2. जरीना बेगम विधवा अब्दुल वहीद मुसलमान निवासी स्टेशन के पास सवाईमाधोपुर ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 19/48

1. अब्दुल रजाक वल्द अब्दल वहीद मृतक जरिये कायममुकामान :–
   1/1. अय्यूब वल्द अब्दुल रजाक ।
   1/2. कय्यूम वल्द अब्दुल रजाक ।
   1/3. युनुस वल्द अब्दुल रजाक ।
   1/4. शबीना पुत्री अब्दुल रजाक ।
   1/5. हसीना बेवा अब्दुल रजाक जाति मुसलमान निवासी बडौदा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. शमशाद बेगम पुत्री अब्दुल वहीन पत्नी जाकिर हुसैन मुसलमान निवासी हकीम साहब की मस्जिद के पास भूरा कुवा की गली अन्ता जिला बारां ।
2. जरीना बेगम विधवा अब्दुल वहीद मुसलमान निवासी स्टेशन के पास सवाईमाधोपुर ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में
2. श्री शम्भू दयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

दिनांकः 14.06.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2018 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 24.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने से तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम ख्यावदा तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी कुल 03 किता की 3.81 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते में दर्ज है जिसमें वादिनी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 व प्रतिवादिनी क्रम 2 का 1/6 हिस्सा है । वादिनी अपने हिस्से 1/2 पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । उक्त भूमि शामलाती खाते में दर्ज होने के कारण वादिनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कडता लगान जमा कराने में परेशानी आती है और आये दिन झगडा होता रहता है । वादिनी को अधिकार है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाये और अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि को अपने पृथक खाते में दर्ज करवा कर पृथक से लगान कायम करवाये ।

4. अतः वादिनी का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विभाजन कर वादिनी को उसके 1/2 हिस्से की भूमि को अलग कियाक जाकर वादिनी के अलग खाते में दर्ज किया जावे व अलग लगान कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादिनी को उसके हिस्से 1/2 की भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके और कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करें तथा शांतिपूर्वक वादिनी को काश्त करने दे बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए वादिनी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 14.06.2018 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । प्राथमिक डिक्री के पश्चात् निर्णय दिनांक 19.12.2018 को अंतिम डिक्री एवं दिनांक 24.12.2018 को संशोधित अंतिम डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2018 एवं संशोधित अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 के कायममुकामान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई के तथा बिना प्लीडिंग का विवेचन किये बिना शहादत का विवेचन किये निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना तथा बिना लिखित राजीनामा के उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । इसी प्रकार अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2018 एवं संशोधित अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2018 निरस्त फरमाई जावें ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलों में अलग–अलग प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें पेश की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना किसी राजीनामे से दावा डिक्री किया है । राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय पारित किया है । राजस्व रिकॉर्ड टाईटल का प्रमाण नहीं होता है । वादग्रस्त आराजी अब्दुल मजीद की थी उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनके दो बेटे और बेवा का नाम समान हिस्से से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अंकित हो गया है जबकि मुस्लिम विधि में बेवा का 1/8 हिस्सा बनता है । बेवा 1/8 हिस्से को ही रिलीज कर सकती है । रिलीज डीड को सिविल न्यायालय में चैलेंज किया है । अपीलान्ट का जवाब बन्द नहीं किया गया है, अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का मौका भी नहीं दिया गया है । वादी की साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर नहीं ली गई है जो कि आवश्यक है । प्रारम्भिक डिक्री में हिस्से नहीं बताए हैं । रिलीज डीड को माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया हुआ है । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2018 एवं संशोधित अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2018 निरस्त फरमाये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा पेश करने की अवधि समाप्त हो चुकी थी इसलिए तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं थी । अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी खारिज हो चुका है । अपीलान्ट के द्वारा

अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में जवाब पेश किया गया था उससे विपरीत कथन करने से अपीलान्ट एस्टोप्ड हैं । अपीलान्ट अपने स्वयं के नाम पर मौखिक हिब्बा की बात करते हैं तो जरीना बेगम का 1/3 हिस्सा मानते हैं और जो पंजीकृत रिलीज डीड 1/3 हिस्से के लिए लिखी गई है उसको चैलेंज कर रहे हैं । सिविल न्यायालय ने पंजीकृत रिलीज डीड को वैध माना है । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व बहस सुनी है, अंतिम डिक्री की पालना हो चुकी है । रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ दस्तावेज पेश किये हैं । अकारण प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2018 एवं संशोधित अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.20198 बहाल रखे जावें ।

11. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने रिबटल में कथन किया है कि अपीलान्ट का जवाबदावा बन्द नहीं किया गया है और धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किये गये जवाब को दावे का जवाब नहीं माना जा सकता । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें ।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

14. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण रजिस्टर नामान्तरकरण संख्या 218 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 की फोटो प्रति, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068 की फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 की फोटो प्रति, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2068 से 2071 की फोटो प्रति, नकल खसरा गिरदावरी सवंत् 2068 की फोटो प्रति, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2072 की फोटो प्रति हैं । उक्त दस्तावेजात में केवल नकल नामान्तरकरण रजिस्टर एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 की प्रमाणित प्रतियॉ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता । शेष दस्तावेजात फोटो प्रतियॉ हैं जिन्हें अपील की स्टेज पर रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर नकल नामान्तरकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

15. अधीनस्थ न्यायालय में धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद पत्रावली जवाब और तलबी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सिर्फ वादिनी उपस्थित हुई है । प्रतिवादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । वादी के बयान भी रिकॉर्ड पर नहीं लिये गये हैं ।

16. जहॉ तक विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि अपीलान्ट का जवाबदावा पेश करने का अवसर समाप्त हो चुका है । हम इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने उनका जवाब बन्द नहीं किया है न तो वादी के बयान हुए हैं और न ही प्रतिवादी के बयान कराये गये हैं । इस प्रकार सीपीसी की पालना किये बिना प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

17. अंतिम डिक्री इसी त्रुटिपूर्ण प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर जारी की गई है । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियमों के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए ।

18. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री और अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य हैं ।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 19/47 एवं 19/48 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.06.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 19.12.2018 एवं संशोधित अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2018 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित करें तथा प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 24.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

20. निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा